शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः /38–5–2011–21सम/99

प्रेषक,

रवि प्रकाश अरोड़ा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 02 सितम्बर, 2011

विषयः वर्षा ऋतु के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु की गई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कई जनपदों में बाढ़ आने से यह सम्भावित है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पेयजल योजनाएँ क्षतिग्रस्त हो गयी हों तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त / लीकेज होने से प्रदूषित जल की आपूर्ति हो रही हो।

2– उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पाइप पेयजल योजनाएँ जो क्षतिग्रस्त हों के सम्बन्ध में एक अभियान चलाकर उक्त क्षतिग्रस्त पाइप पेयजल योजनाओं को ठीक कराया जाय एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रवि प्रकाश अरोड़ा)
विशेष सचिव।

संख्याः 1151 (1)/38–5–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 लखनऊ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को ई–मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाय।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश अरोड़ा)
विशेष सचिव।

सख्या– 1512/अड़तीस–5–11–67सम/07 टी0सी0

प्रेषक,

एन0एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2011

विषयः वर्ष 2011–12 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु वर्ष 2011–12 की पेयजल नीति के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मार्ग–दर्शी व्यवस्था निम्नवत होगी :–

I- पूर्व की भॉति इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों के मध्य 75 मीटर की दूरी अनिवार्य रूप से रखी जाय, ताकि पेयजल स्रोतों का वितरण समान रूप से सभी वर्गो के लिए हो सके। इस नियम के उल्लघंन को शासन स्तर पर गम्भीरता से देखा जायेगा।

II- यह अनुभव किया गया है कि अभी भी काफी संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़े वर्ग व अंशकालिक निवास करने वाले खानाबदोश लोगों की गरीब बस्तियॉ असेवित हैं, यद्यपि उनके मजरे जहां वे निवास कर रहे हैं, इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों की संख्या की दृष्टि से संतृप्त माने जा रहे हैं। सुनिश्चित किया जाय कि समाज के उक्त वंचित कमजोर वर्ग की असेवित बस्तियों में सर्वोच्च प्राथमिकता पर इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प स्थापित /रिबोर किये जाय। किसी भी बस्ती को तब तक संतृप्त नहीं माना जायेगा, जब तक कि उक्त बस्ती में निवास करने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्ग व उनमें भी प्रत्येक गरीब परिवार को पर्याप्त, स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो जाता है।

III- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के कियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश में अनुसूचित जाति/ जनजाति की असेवित बस्तियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बजट का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की असेवित बस्तियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मात्राकृत की गई है।

IV- अनुसूचित जाति/ जनजाति की असंतृप्त बस्तियों को चिन्हित कर निर्धारित नीति के अनुसार प्राथमिकता पर अधिष्ठापन सुनिश्चित कराकर सूची शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाय। यदि बजट के 10 प्रतिशत की धनराशि के उपयोग हेतु अनुसूचित जनजाति की बस्तियॉ उपलब्ध न हो सकें तो 10 प्रतिशत बजट की सीमा

तक अनुसूचित जाति की बस्तियों में अतिरिक्त रूप से व्यय करके पेयजल की व्यवस्था की जाय।

V- पाँच हजार से अधिक की आबादी वाले ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाय।

VI- भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम असेवित बस्तियों में अधिष्ठापन का कार्य कराया जाये।

VII- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित होने वाले सभी नवीन इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों के साथ सोकपिट का निर्माण किया जाय ताकि पानी को व्यर्थ में बहने से रोका जा सके। यह कार्य रिचार्जिग/सस्टेनविलिटी हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत धनराशि से वित्त पोषित होगा।

VIII- वाटर सिक्योरिटी /सस्टेनविलिटी हेतु मात्राकृत 20 प्रतिशत धनराशि में से सोकपिट, के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनों (यथा–पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, ग्रामीण सचिवालय, प्राथमिक विद्यालय, विकास खण्ड कार्यालय आदि) पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अतिरिक्त प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्याचल मण्डल, आगरा मण्डल में चेकडैम के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जाये।

IX- इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में प्रयुक्त सामग्री अनिवार्य रूप से आई0एस0आई0 मार्का होगी, इसे सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 का होगा।

X- प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकास खण्डों में नये/रिबोर इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का शतप्रतिशत सत्यापन कराये जाने की अनिवार्य व्यवस्था की जाय एवं सत्यापन रिपोर्ट जनपद स्तर पर जल निगम / यू0पी0 एग्रो के मुख्यालय स्तर पर संग्रहीत की जाय। इसके अतिरिक्त पाइप पेयजल योजनाओं / हैण्डपम्पों के पेयजल की गुणवत्ता की जॉच की भी अनिवार्य व्यवस्था की जाय। उक्त कार्यो हेतु जॉच कर्ता / सत्यापन कर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम सहित सत्यापन रिपोर्ट जनपद / मुख्यालय स्तर पर संग्रहीत की जाय। जनपद के जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने स्तर से जॉच कर्ता / सत्यापनकर्ता अधिकारी नामित किये जायेंगे।

2– समस्त जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विहित प्रक्रिया के अधीन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सूची को अन्तिम रूप देते हुए जनपद में तैनात अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं सेवा अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट एग्रो को उपलब्ध करा दी जाय ताकि हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में विलम्ब न हो।

कृपया उक्त निर्णय का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1512 (1)/अड़तीस–5–11–67सम/07 टी0सी0, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/नगर विकास/पंचायती राज एवं कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को समस्त जिलाधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0पी0सिंह)
उप सचिव।

संख्या– 1134/अड़तीस–5–11–56सम/ 2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2011

विषय: ग्राम पंचायतों को इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों एवं पाइप पेयजल योजनाओं के रख–रखाव हेतु परिसम्पत्तियों का हस्तानान्तरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1739/38–5–99–21एम/99 दिनांक 22 अप्रैल, 1999 को अतिक्रमित करते हुए उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अचलों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प, पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में शासन ने तात्कालिक प्रभाव से निम्न निर्णय लिये हैं–

I- ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों /योजनाओं के अन्तर्गत नये इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प तथा एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएँ कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के उपरान्त उन्हें ग्राम पंचायत को रखरखाव हेतु हस्तानान्तरित किया जायेगा एवं इनके रखरखाव का समस्त कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किया जायेगा।

II- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अधिष्ठापित नये व रिबोर हैण्डपम्प तथा एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं को संलग्न प्रारूप पत्र–। पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी को हस्तगत कराया जायेगा। उक्त प्रारूप पत्र राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की वेबसाइट (www.swsmup.org) पर उपलब्ध है। उक्त हस्तान्तरित इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प /एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त ग्राम सभा के परिसम्पत्ति रजिस्टर में भी दर्ज किया जायेगा।

III- ग्राम पंचायतों को हस्तानान्तरित किये जाने वाले इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों/ पाइप पेयजल योजना के रखरखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था 13$^{वें}$ वित्त आयोग / राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से की जायेगी।

IV- हैण्डपम्प की खराबी के समय सामान्य मरम्मत (Minor Repair) कार्य जिसमें खराब बियरिंग बदलना, ग्रीसिंग करना एवं टूटी चेन बदलना, एक्सल बदलना, कनेक्टिंग राड एवं जी0आई0पाइप की चूड़ी खराब हो जाने पर चूड़ी बनाकर उन्हें फिट करना, सिलेण्डर के वासर बदलना, चेक वाल्व खराब होने पर बदलने का कार्य, नट–बोल्ट कसना तथा उनको बदलने का कार्य, भू–जल स्तर नीचे चले जाने पर जी0आई0 पाइप तथा कनेक्टिंग राड को बढ़ाने के कार्य का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत

संख्याः 1134 (1)/अड़तीस–5–11 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 1134 (1)/अड़तीस–5–11 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या–1134/अड़तीस–5–11–56सभ/2010 का संलग्नक।

ग्राम पंचायतों को हैण्डपम्प (नये व रिबोर) तथा पाइप पेयजल योजनाओं को हस्तानान्तरित करने का रूप पत्र

प्रपत्र–1

क्रम सं0	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	मजरे का नाम	हैण्डपम्प / पाइप पेयजल योजना का लोकशन	अधिष्ठापन का दिनांक	नया अथवा रिबोर	पी0वी0सी0 पाइप की गहराई मीटर में	जी0आई0 पाइप की लम्बाई मी0 में	बोर में जल स्तर मीटर में	प्लेटफार्म की स्थिति	जल निकासी नाली की स्थिति	हस्तांतरण का दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

हस्तान्तरण करने वाले
अवर अभियन्ता का नाम व हस्ताक्षर

हस्तांगत लेने वाले सचिव
ग्राम पंचायत का नाम
व हस्ताक्षर

अवलोकित
ग्राम प्रधान हस्ताक्षर व मोहर

संख्या– 1167 /38–5–09–67सम/07 टी0सी0

राहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2009

विषय: वर्ष 2009–10 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु वर्ष 2009–10 की नीति के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के मार्ग–दर्शी व्यवस्था निम्नवत होगी :–

1. वर्ष 2008–09 की भाँति हैण्डपम्पों के मध्य 75 मीटर की दूरी अनिवार्य रूप से रखी जाय, ताकि पेयजल स्रोतों का वितरण समान रूप से सभी वर्गों के लिए हो सके। इस नियम के उल्लघंन को शासन स्तर पर गम्भीरता से देखा जायेगा।
2. यह अनुभव किया गया है कि अभी भी काफी बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़े वर्ग व अंशकालिक निवास करने वाले खानाबदोश लोगों की गरीब बस्तियाँ असेवित हैं, यद्यपि उनके मजरे जहां वे निवास कर रहे हैं, हैण्डपम्पों की संख्या की दृष्टि से संतृप्त माने जा रहे हैं। सुनिश्चित किया जाय कि समाज के उक्त वंचित कमजोर वर्ग की असेवित बस्तियों में सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैण्डपम्प स्थापित तथा रिबोर किये जाय। किसी भी बस्ती को तब तक संतृप्त नहीं माना जायेगा, जब तक कि उक्त बस्ती में निवास करने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्ग व उनमें भी प्रत्येक गरीब परिवार को पर्याप्त, स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो जाता है।
3. एक हजार से अधिक की आबादी वाले ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाय।
4. भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम असेवित बस्तियों में अधिष्ठापन का कार्य कराया जाये।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित होने वाले सभी नवीन इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्पों से पेयजल के अतिरिक्त जमीन पर गिरने वाले व्यर्थ पानी को बचाने के लिए प्रत्येक

नवीन हैण्डपम्पों के साथ सोकपिट का निर्माण किया जाय। यह कार्य रिचार्जिंग / सस्टेनबिलिटी हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत धनराशि से वित्त पोषित होगा।

6. वाटर सिक्योरिटी हेतु मात्राकृत 20 प्रतिशत धनराशि में से सोकपिट के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनो (यथा–पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, विकास खण्ड कार्यालय आदि) पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जाये।
7. हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में प्रयुक्त सामग्री अनिवार्य रूप से आई0एस0आई0 मार्का होगी, इसे सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 का होगा।

समस्त जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विहित प्रक्रिया के अधीन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सूची को अन्तिम करते हुए जनपद में स्थित अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं सेवा अभियन्ता, यू0पी0 एग्रो को उपलब्ध करा दी जाये ताकि हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में विलम्ब न हो।

कृपया उक्त निर्णय का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 1167 (1)/38–5–09–67सम/07 टी0सी0, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त / नियोजन / नगर विकास / पंचायती राज एवं कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
सचिव।

प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पृ0सं0 1006 / 2013 – 0008 /9 दिनांक 17/07/2009

शासन के उपरोक्त पत्र की प्रति समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम को इस आशय से कि वे अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ताओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (निर्माण कार्य से संबंधित), उ0 प्र0 जल निगम।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता(निर्माण कार्य से संबंधित), उ0 प्र0 जल निगम।

17/7/09

(सत्य प्रकाश)
मुख्य अभियंता (ग्रामीण)